

मांग संख्या .  
मुख्य शीर्ष 2049

**मद क्रमांक 1**

8.98 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2024 हेतु राशि रुपये 1571.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,71,50,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

8.99 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2024 हेतु राशि रुपये 5394.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 53,94,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

8.95 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2024 हेतु राशि रुपये 4475.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,75,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

8.95 प्रतिशत राज्य विकास ऋण 2024 हेतु राशि रुपये 4698.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,98,75,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

महालेखाकार ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार योजना 4487 सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज हेतु राशि रुपये 21777.64 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,17,77,64,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01  
मुख्य शीर्ष 2051

**मद क्रमांक 1 - 6**

राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत डाक एवं तार हेतु रुपये 50,000, पेट्रोल तेल हेतु रुपये 80,000, परीक्षाओं के संचालन हेतु रुपये 8.00 करोड़, न्यायालयीन प्रकरणों में अधिवक्ताओं के लंबित देयकों हेतु रुपये 50,000, कार्यशाला एवं सेमीनार हेतु रुपये 1.00 लाख एवं व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियां हेतु रुपये 75.15 लाख वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,77,95,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

म.प्र. लोक सेवा आयोग कार्यालय की कार्य प्रणाली के ऑटोमेशन हेतु एन.आई.सी.-एस.टी. द्वारा प्राप्त प्रोफार्मा इन्वॉइस अनुसार राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 8 - 10**

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत वेतन भत्ते मद में रुपये 22.00 लाख एवं सहायक अनुदान मद में रुपये 3.00 करोड़ कुल रुपये 322.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। मशीन उपकरण मद में रुपये 1.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जाएगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,22,00,000 एवं रुपये 100 के प्रतीक के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11 - 12

मध्यप्रदेश भवन अंतर्गत आवासीय आयुक्त के स्थानान्तरण यात्रा देयकों के भुगतान एवं विद्युत एवं जलप्रभार मद हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राशि रुपये 41.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13 - 15

विशेष आयुक्त कार्यालय म.प्र. शासन नई दिल्ली अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिये राशि रुपये 5.50 लाख एवं दौरे एवं अन्य यात्रा भत्ते दौरे में व्यय की पूर्ति हेतु रुपये 8.25 लाख एवं पेट्रोल तेल हेतु रुपये 50,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

### मद क्रमांक 16

लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत सी.एम. हेल्प लाईन का शुभारंभ होने से काल संख्या में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कॉल सेन्टर की स्थापना अन्तर्गत रुपये 6.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 17

ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के क्रियान्वयन हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त होना है, जिसके फलस्वरूप रुपये 4768.80 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,68,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

### मद क्रमांक 18

आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ में उपलब्ध विवेचनाधिकारियों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप गोपनीय सेवा निधि के व्यय में वृद्धि के कारण रुपये 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

### मद क्रमांक 19 - 20

प्रशासन अकादमी में पदस्थ संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप अन्य भत्ते मद में रुपये 1.00 लाख एवं वर्ष 2014-15 की शेष अवधि के लिये महंगाई भत्ते मद में रुपये 2.00 लाख कुल राशि रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 21 - 24

लोकायुक्त संगठन कार्यालय के लिये लेखन सामग्री, नवीन वाहन, अभिभाषकों की फीस एवं सफाई व्यवस्था मद में वर्ष के दौरान अतिरिक्त राशि रुपये 16,00,100 का व्यय संभावित है। नवीन वाहन का क्रय स्वीकृत बजट की बचत से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2251

**मद क्रमांक 25**

सामान्य प्रशासन विभाग सचिवालय सामाजिक सेवायें अंतर्गत वेतन के अन्य भत्ते मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 1**

राज्य सत्कार कार्यालय के अंतर्गत आतिथ्य व्यय मद में वर्ष के दौरान रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

**मद क्रमांक 1 - 5**

राज्य मुख्यालय के अंतर्गत मकान किराया, कार्यालय फर्नीचर का क्रय, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, शस्त्र और गोला बारूद एवं उपकरण में नवीन एवं विभिन्न मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 824.00 लाख के अतिरिक्त व्यय तथा रुपये 300 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,24,00,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6 - 8**

अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाये के अंतर्गत मकान किराया, किराया, महसूल एवं स्थानीय कर एवं भवनों का क्रय/अधिग्रहण मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 51.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

नवगठित एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्र भौरी के अंतर्गत भूमि एवं भवनों का क्रय व्यवस्था मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 1260.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत उपकरण मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 20.76 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11 - 13**

राज्य सायबर मुख्यालय योजना के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य, मेला उत्सव प्रदर्शनी एवं गोपनीय सेवा की मदें उपलब्ध नहीं है। इन मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 19.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत पारितोषिक मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 15 - 17**

सामान्य व्यय के अंतर्गत सेमीनार, विशेष सेवा हेतु मानदेय एवं खपने वाला सामान की मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 3.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 18**

पुलिस लायब्रेरी का पुनर्गठन के अंतर्गत कार्यालय फर्नीचर मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 46.20 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 19 - 20**

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत पासपोर्ट सेवा कोष नवीन योजना में कार्यालय फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरणों का क्रय मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 33.36 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 21 - 22**

अन्य पुलिस के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता एवं उपकरण क्रय मद उपलब्ध नहीं है। इन मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 0.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 23-24**

जिला स्थापना योजना के अंतर्गत मकान किराया (मतदेय) में राशि रुपये 3.00 लाख एवं डिक्रीधन (भारित) मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 40.00 लाख का व्यय संभावित है। प्रतीक प्रावधान हेतु व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक विनियोग एवं रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 25-26**

थानों का सुदृढीकरण योजना के अंतर्गत अन्य आकस्मिक व्यय एवं कार्यालय उपकरण मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 1,00,00,100 का अतिरिक्त व्यय संभावित है। प्रतीक प्रावधान हेतु व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 27**

कम्प्यूटर शाखा योजना के अंतर्गत मकान किराया मद उपलब्ध नहीं है। इस मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 0.50 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 28**

बेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर योजना के अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद उपलब्ध नहीं है। इस मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 29**

विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला सागर योजना के अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद उपलब्ध नहीं है। इस मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 30 - 72**

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत राज्य औद्योगिक सुरक्षा योजना बल वाहिनी में विभिन्न उद्देश्य शीर्ष उपलब्ध नहीं है। इन नवीन विभिन्न मद में वर्ष के दौरान संभावित व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 73**

उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के अंतर्गत नवीन वाहनों का क्रय मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 90.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 74 - 77**

महिला अपराध शाखा का गठन योजना के अंतर्गत मकान किराया भत्ता, सेमीनार सम्मेलन, विज्ञापन एवं प्रचार मद उपलब्ध नहीं है। इन मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 15.50 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 78 - 81**

सिविल एवं सेशन न्यायालय के अंतर्गत कैदी परिवहन व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, कैदी खुराक, कपड़े बिस्तर एवं अन्य प्रभार मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 24.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 82 - 86**

सड़क सुरक्षा कोष से व्यय योजना के अंतर्गत नवीन वाहनों का क्रय, परिवहन व्यवस्था, अन्य, मशीन अनुरक्षण एवं विज्ञापन प्रचार मदे उपलब्ध नहीं है। इन मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 75.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 87 - 89**

विधान सभा भवन/परिसर की सुरक्षा व्यवस्था योजना के अंतर्गत नवीन वाहनों का क्रय, गोला बारूद एवं हथियारों का क्रय एवं अन्य प्रभार मदे उपलब्ध नहीं है। इन मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 130.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 90 - 91**

अश्वारोही दल एवं डॉग स्क्वाड योजना के अंतर्गत अन्य प्रभार एवं सामग्री पूर्ति मदे उपलब्ध नहीं है। इन मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 89.05 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 92 - 93**

इन्टीग्रेटेड पुलिस ट्रेनिंग काम्पलेक्स के अंतर्गत उपकरण, नवीन वाहनों का क्रय मद उपलब्ध नहीं है। इस मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 255.34 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 94**

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (एस.डी.ई.आर.एफ) योजना के अंतर्गत मशीन एवं उपकरण मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

**मद क्रमांक 95**

राजमार्ग सुरक्षा एवं सुरक्षा योजना के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद उपलब्ध नहीं है। इन मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 1091.40 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 1**

म.प्र. स्टेट गैरिज के अंतर्गत वाहन का प्रतिस्थापन मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 16.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 2-3**

सैनिक कल्याण के अंतर्गत वाहन का प्रतिस्थापन एवं प्रौद्योगिकी मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 8.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05

मुख्य शीर्ष 2056

**मद क्रमांक 1 - 4**

जेल विभाग के अंतर्गत जेल उप महानिरीक्षक एवं कर्मचारियों के उपचार से संबंधित लंबित देयकों हेतु रुपये 10.00 लाख, वेतन भुगतान हेतु रुपये 2.50 लाख, महंगाई भत्ते मद में रुपये 6.10 लाख एवं परीक्षा के लंबित देयकों के भुगतान हेतु रुपये 7.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

मध्यप्रदेश जेल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना में महंगाई भत्ते मद में रुपये 1.25 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6 - 15**

केन्द्रीय तथा जिला जेलों हेतु वेतन मद में रुपये 58.00 लाख, महंगाई भत्ते मद में रुपये 3.00 करोड़, अन्य भत्ते मद में रुपये 2.00 लाख, ग्रेड पे मद में रुपये 58.37 लाख, आकस्मिकता कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन मद में रुपये 2.00 लाख, महंगाई भत्ता मद में रुपये 2.00 लाख, मकान किराया भत्ता मद में रुपये 10 हजार, ग्रेड पे मद में रुपये 40 हजार एवं यात्रा भत्ता मद में रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। इसके साथ ही गोपनीय सेवा मद उपलब्ध न होने के कारण प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,42,87,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16 - 17**

जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत वेतन भत्तों के भुगतान के लिये रुपये 3.08 लाख एवं ग्रेड पे के भुगतान हेतु रुपये 26 हजार के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18 - 19**

जेल उत्पादन योजना अंतर्गत समयमान एरियर्स के भुगतान हेतु आगामी माहों के व्यय के लिये रुपये 7.00 लाख एवं अन्य भत्ते मद में रुपये 5 हजार के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2054

**मद क्रमांक 1 - 6**

संचालक, कोष एवं लेखा में निर्देशन और प्रकाशन हेतु निम्नानुसार व्यय संभावित है:-

1. योजना क्रमांक 2304	22-005 बिजली पानी	रुपये 25,00,000
	11-008 अन्य भत्ते	रुपये 2,00,000
	11-004 वाहन भत्ता	रुपये 1,50,000
2. योजना क्रमांक 4307	22-005 बिजली पानी	रुपये 15,00,000
	31-007 परिवहन व्यवस्था	रुपये 8,00,000
3. योजना क्रमांक 1026	22-002 दूरभाष व्यय	रुपये 6,00,000

-----  
कुल योग 57,50,000  
-----

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 57,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 7999

**मद क्रमांक 7**

आकस्मिकता निधि की वर्तमान सीमा रुपये 200.00 करोड़ को रुपये 500.00 करोड़ किये जाने हेतु आकस्मिकता निधि में धनवेष्टन हेतु रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2040

**मद क्रमांक 1**

म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में वाहन प्रतिस्थापन हेतु रुपये 7.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4070

## मद क्रमांक 2

राज्य के वित्त मंत्रियों की साधिकार समिति की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश के हिस्से की इक्विटी अंशदान भुगतान किया जाना है। वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत इस राशि को मांग संख्या 07 के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध एन्यूटी में आवंटित राशि को समर्पित कर पूंजी अनुभाग मद में प्रावधानित कर राशि रुपये 7.90 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2029

## मद क्रमांक 1

जिला खर्च अंतर्गत राजस्व अभिलेखों को डिजिटिजेशन करने हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण के अन्तर्गत क्रय किये गये वाहनों का प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु राशि रुपये 1,63,500 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,63,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 3 - 4

लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय के अंतर्गत राशि रुपये 6.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

## मद क्रमांक 5

जिला स्थापना के अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में रुपये 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 6

जिला प्रशासन के अन्तर्गत आदेशिका वाहक स्थापना में कोटवार को वर्दी मद में अतिरिक्त राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 7 - 9

जिला प्रशासन के प्रमुख राजस्व आयुक्त स्थापना के अंतर्गत मजदूरी, विशेष सेवाओं के लिये मानदेय एवं परिवहन व्यवस्था मद अंतर्गत रुपये 13.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



मांग संख्या 09  
मुख्य शीर्ष 2058

**मद क्रमांक 1**

शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार भुगतान करने हेतु रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10  
मुख्य शीर्ष 2406

**मद क्रमांक 1**

सेटेलार्ड इमेजरी में राशि रुपये 362.09 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,62,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

राष्ट्रीय वनीकरण में वित्तीय वर्ष 2014-15 में रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

वानिकी अनुरक्षण एवं विकास (13वां वित्त आयोग) में 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन को अनुदान मद में रुपये 242.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,42,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

कुटीर उद्योग नेटवर्क का प्रसार हेतु राशि रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

ग्रामों का पुनर्वास हेतु मुआवजा मद में राशि रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11  
मुख्य शीर्ष 2230

**मद क्रमांक 1 - 2**

कौशल विकास प्रशिक्षण अंतर्गत परीक्षा एवं प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक सेवाओं हेतु राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3 - 4

जॉब फेयर एवं केरियर काउन्सिलिंग योजना अंतर्गत विशेष सेवाओं के मानदेय एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

### मद क्रमांक 5

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही हेतु सहायता अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान हेतु राशि रुपये 22.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,20,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

विद्युत देयकों की प्रतिपूर्ति हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 93.27 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7 - 9

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु नवीन मद खोला जाकर परीक्षा एवं प्रशिक्षण, सेमीनार कार्यशाला सम्मेलन एवं राज सहायता हेतु रुपये 7950.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 79,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10 - 12

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु नवीन मद खोला जाकर परीक्षा एवं प्रशिक्षण, सेमीनार कार्यशाला सम्मेलन एवं राज सहायता हेतु रुपये 1400.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत राज सहायता हेतु राशि रुपये 3500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

टेक्सटाईल उद्योगों के लिये विशेष ब्याज अनुदान, 2012 अंतर्गत राज सहायता हेतु राशि रुपये 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 15

उद्योगों को 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत लागत पूंजी अनुदान (पिछड़े जिले में स्थापित) हेतु आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12  
मुख्य शीर्ष 2801

**मद क्रमांक 1**

निः शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु राशि रुपये 500.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

टैरिफ सब्सिडी मद में म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड/विद्युत वितरण कंपनियों के लिये राशि रुपये 700.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

दीन बन्धु योजना हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

**मद क्रमांक 4**

कार्यशील पूंजी ऋण योजना हेतु राशि रुपये 550.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा एकत्रित विद्युत शुल्क तथा उपकर की राशि को सतत ऋण में परिवर्तन हेतु रुपये 1550.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनियों के विद्युत परियोजनाओं के विद्युत देयकों की देनदारियों का सतत ऋण में परिवर्तन हेतु राशि रुपये 550.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 1 - 4**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के अंतर्गत नवीन खाद एवं बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में वेतन भत्ते मद हेतु राशि रुपये 62.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 62,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

संचालनालय, कृषि अभियांत्रिकी भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये राशि रुपये 6000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। यह योजना भारत सरकार से शत-प्रतिशत सहायित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4401

### मद क्रमांक 6

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के अंतर्गत म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की अंशपूजी में धनवेष्टन हेतु राशि रुपये 2500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14

मुख्य शीर्ष 2403

### मद क्रमांक 1

पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालनालय स्तर पर डिक्रीधन भुगतान हेतु राशि रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सालय हेतु राशि रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

पशुपालन विभाग के अंतर्गत बड़े पशुओं का उत्प्रेरण हेतु राशि रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

पशुपालन विभाग के अंतर्गत राज्य पशु ब्रीडिंग केन्द्र हेतु राशि रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

पशुपालन विभाग के अंतर्गत मुर्गीपालन प्रक्षेत्र हेतु राशि रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

पशुपालन विभाग के अंतर्गत मुर्गी पालन विकास प्रक्षेत्र हेतु राशि रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

पशुपालन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पशु धन मिशन ( एन.एल.एम. ) के अधीन सम्मिलित कार्यक्रम हेतु रुपये 1774.16 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,74,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8 - 9**

पशुपालन विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम हेतु राशि रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

पशुपालन विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम हेतु राशि रुपये 240.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11 - 12**

पशुपालन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु राशि रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 1**

प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़, जनजाति वर्ग के अध्ययनरत प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रदाय किये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रदेश की विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़, जनजाति वर्ग के अध्ययनरत कक्षा ग्यारहवी की छात्राओं को निर्धारित नवीन दरो से छात्रवृत्ति का प्रदाय किये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

विभिन्न छात्रवृत्तियां योजना अंतर्गत प्रदेश की विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़, जनजाति वर्ग के अध्ययनरत कक्षा छठवी एवं नवमी की छात्राओं को निर्धारित नवीन दरो से छात्रवृत्ति का प्रदाय किये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 60.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17

मुख्य शीर्ष 2425

**मद क्रमांक 1 - 5**

सहकारिता विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय हेतु राशि रुपये 8.65 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6425

**मद क्रमांक 6**

सहकारिता विभाग के अंतर्गत अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन के अंशदान हेतु राशि रुपये 4907.00

लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 49,07,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18  
मुख्य शीर्ष 2230

### मद क्रमांक 1

श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त इंदौर को बीड़ी श्रमिकों की पंचायत के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राशि रुपये 59,99,900 के व्यय हेतु राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 59,99,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

श्रम विभाग अंतर्गत रजिस्टर औद्योगिक न्यायालय इंदौर को फर्नीचर मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राशि रुपये 1.80 लाख का अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त इंदौर को औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु कार्यालयीन उपकरणों का क्रय मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राशि रुपये 14.68 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देश के अनुक्रम में 4 श्रमिकों को रुपये 12.00 लाख क्षतिपूर्ति की जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19  
मुख्य शीर्ष 2210

### मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री बाल श्रवण सहायता योजना हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

### मद क्रमांक 2

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 70.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त व्यय राजस्व व्यय के अन्य मद (19-2210-01-110-2777) से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अस्पताल एवं औषधालय के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 1855.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त व्यय राजस्व व्यय के अन्य मद (19-2210-01-110-6036) से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना आवश्यक है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 5

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हेतु राशि रुपये 920.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त व्यय राजस्व व्यय के अन्य मद (19-2210-02-103-2777) से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 6

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विनिर्मित तकनीक से उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त व्यय राजस्व व्यय के अन्य मद (19-2210-02-103-6271) से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20  
मुख्य शीर्ष 2215

#### मद क्रमांक 1

भोपाल जिले के ग्राम घासीपुरा में आयोजित होने वाला सालाना इत्जिमा वर्ष 2014 अस्थाई जल व्यवस्था हेतु रुपये 10.00 लाख का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21  
मुख्य शीर्ष 2059

#### मद क्रमांक 1

विधान सभा के मुख्य हॉल माननीय मुख्यमंत्री कक्ष, लॉबी एवं केबिनेट हॉल का उन्नयन एवं आंतकिक तथा बाह्य साज-सज्जा हेतु राशि रुपये 700.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

#### मद क्रमांक 2

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु एवं नालंदा टोला पंचमढी में विभिन्न विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण, नाली ओपन स्पेस, वाउन्ड्रीवाल एवं एक कम्प्यूनिटी हॉल के निर्माण हेतु राशि रुपये 2.10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

#### मद क्रमांक 3

मंत्रालय (वल्लभ भवन) विस्तार हेतु राजधानी परियोजना के अंतर्गत राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23  
मुख्य शीर्ष 2701

### मद क्रमांक 1

कार्यपालिक स्थापना अंतर्गत वाहन प्रतिस्थापन मद में राशि रुपये 160.00 लाख का व्यय आवश्यक है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 23-2701 (052) मशीने एवं उपकरण मद में प्रावधानित राशि से उक्त राशि समर्पित कर की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

### मद क्रमांक 2-5

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत बाण सागर परियोजना यूनिट-2, सिंध परियोजना द्वितीय चरण, पेंच प्रत्यावर्तन परियोजना एवं पंचमनगर परियोजना अंतर्गत नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य एवं बांध तथा संलग्न कार्य पर रुपये 26500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,65,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

### मद क्रमांक 6-10

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य रूझ परियोजना, दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य, सुधार सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापना योजना अंतर्गत रुपये 6700.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 67,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

खर्चाघाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत 1.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24  
मुख्य शीर्ष 3054

### मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय राजमार्ग अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

राजकीय राजमार्गों के संधारण हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

सुदृढीकरण मद में राशि रुपये 24.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



#### मद क्रमांक 4

राजमार्गो/मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु राशि रुपये 90.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 5

निष्पादन योजना अंतर्गत वाहन प्रतिस्थापन पर रुपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

#### मद क्रमांक 6

वृहद पुलों का निर्माण अंतर्गत राशि रुपये 40.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 7

1. जिला होशंगाबाद शहर में ईटारसी भोपाल के रेल्वे क्रॉसिंग क्रमांक 233 (ग्वाल टोली) जिसकी लागत रुपये 476.19 लाख 2. ईटारसी में गरीबी लाईन रेल्वे अण्डर ब्रिज का निर्माण कार्य लागत रुपये 573.47 लाख एवं 3. जिला दमोह में सागर दमोह बटियागढ़ बायपास मार्ग में बीना कटनी रेल्वे खण्ड के कि.मी. 1124/24 में गेट नं. 57-सी पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण कार्य कराये जाने है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 8

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा सामान्य अनुबंध अंतर्गत क्रियान्वित किये जा रहे कार्य हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 9

मुख्य जिला मार्ग का उन्नयन हेतु राशि रुपये 40.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 10

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) अंतर्गत राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 11

ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड) अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 12

म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से निम्नांकित 6 नवीन सड़क निर्माण कार्यों पर राशि रुपये 4407.20 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र. जिला मार्ग का नाम

लंबाई लागत अनुदान राशि

	कि.मी.	लाख में	रुपये में
1. मंदसौर नीमच मनासा रामपुरा भगवानपुरा झालावाड़ मार्ग के भानपुरा शहर में चैनेज 126+950 से 128+860 तक (चंबल सेनी मथूर गेट तक) फोरलेन कांक्रीट मार्ग	1.91	210.10	100
2. सागर रेहली मार्ग पर रेहली नगरीय हिस्से में सी.सी. पेवमेंट कार्य (चैनेज 39+390 से 39+800 एवं 40+500 से 41+200)	1.11	122.10	100
3. सतना बेला गोविंदगढ़ चुरहट मार्ग (एस.एच.) के मुकुन्दपुर रोड से मोड़ सुधार हेतु सड़क निर्माण (चैनेज 10+400 से 10+900)	0.34	125.00	100
4. सागर सागर रेहली मार्ग (राजमार्ग क्रम 15) के कि.मी. 13+250 बेबस नदी पर स्थित पुल निर्माण	0.00	1700.00	100
5. सागर सागर रेहली मार्ग (राजमार्ग क्र. 15) के 26 से 870 तक केथ नदी पर पुल निर्माण, सागर रेहली मार्ग के 27 से 787 तक करता नाला नदी पर पुल निर्माण, सागर रेहली मार्ग के 27 से 887 तक करता नदी पर पुल निर्माण	0.00	1500.00	100
6. रायसेन रायसेन राहतगढ़ (एच.एस. 42) के कि.मी. 107/4 में कौला नाले पर पुल निर्माण	0.00	750.00	100
	योग	3.36	4407.20
			600

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य राजमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

बी.ओ.टी. (एन्यूटी) पर मार्गों के विकास हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25  
मुख्य शीर्ष 2853

### मद क्रमांक 1

खनिज साधन विभाग में निर्देशन अंतर्गत वाहन किराये की मद में रुपये 350.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास के अंतर्गत खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण के अंतर्गत रुपये 248.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,48,29,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य हेतु कार्यालयीन उपकरण क्रय मद में राशि रुपये 130.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26

मुख्य शीर्ष 2205

### मद क्रमांक 1

म.प्र. स्थापना समारोह के आयोजन हेतु राशि रुपये 1.50 करोड़ एवं नवीन मद के रूप में खजुराहों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के लिये 50.00 लाख कुल राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 3

रवीन्द्र भवन परिसर स्थित स्वराज पार्क का सफाई व्यवस्था हेतु आयोजनेतर मद के रूप में रुपये 2.00 लाख, रवीन्द्र भवन परिसर स्थित पार्क के संधारण/सुरक्षा कार्यों हेतु राशि रुपये 1.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

रवीन्द्र भवन के उन्नयन हेतु लघु निर्माण कार्यों के अन्तर्गत रुपये 200.00 लाख की आतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

स्मारकों/संग्रहालयों का अनुरक्षण एवं विकास आदि कार्य हेतु राशि रुपये 4780.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 1

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शालाओं में बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु राशि रुपये 325.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

विद्यालयों में नवीन योजना अंतर्गत शौचालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिये राशि रुपये 5000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28

मुख्य शीर्ष 2011

### मद क्रमांक 1

सचिव संसदीय कार्य विभाग को व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियां मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राशि रुपये 1.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29  
मुख्य शीर्ष 2014

### मद क्रमांक 1 - 10

माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियां मद में राशि रुपये 542.61 लाख के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है। नव नियुक्त माननीय न्यायमूर्ति के उपयोग हेतु नवीन वाहनों के क्रय के लिये राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 129.36 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 5,42,61,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11 - 12

मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अन्तर्गत विद्युत एवं जल प्रभार एवं आकस्मिक व्यय मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 2.05 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13 - 18

सिविल एवं सेशन न्यायालय की सामान्य स्थापना के अंतर्गत मजदूरी, डाकतार व्यय, फर्नीचर का क्रय, विद्युत एवं जल प्रभार, कार्यालय उपकरण, पेट्रोल तेल मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 2331.03 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,31,03,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 19 - 20

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के अन्तर्गत फर्नीचर का क्रय, पेट्रोल तेल आदि मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 21

परिवार न्यायालय के अंतर्गत मजदूरी मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 22.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 22 - 24

महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय ग्वालियर वर्दिया (कोट) मद में रुपये 40,000 कार्यालयीन उपकरण के क्रय हेतु रुपये 4.00 लाख एवं माननीय उच्च न्यायालय में पेनल अधिवक्ताओं की फीस हेतु रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 29,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 30  
मुख्य शीर्ष 2501

### मद क्रमांक 1 - 8

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर का अमला हेतु राशि रुपये 77.45 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 77,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 9 - 12**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु राशि रुपये 1811.28 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,11,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31

मुख्य शीर्ष 3454

**मद क्रमांक 1**

सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना हेतु रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। जिसमें से 2.00 लाख का समायोजन आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण हेतु किया जावेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

राजीव गांधी आवास योजना हेतु भारत सरकार द्वारा राशि रुपये 95.00 लाख जारी की गयी है। उक्त राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना हेतु रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 9**

छठवी आर्थिक गणना हेतु रुपये 6,28,44,900 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,28,44,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32

मुख्य शीर्ष 2015

**मद क्रमांक 1**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2040

**मद क्रमांक 2**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2054

**मद क्रमांक 3**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद में राशि 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

#### मद क्रमांक 4

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2202

#### मद क्रमांक 5

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

#### मद क्रमांक 6

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

#### मद क्रमांक 7

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2220

#### मद क्रमांक 8

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में योजना क्रमांक 2304 निर्देशन और प्रशासन के अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में नियमित बजट प्रावधान के अतिरिक्त राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 9

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु वर्ष 2014-15 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

#### मद क्रमांक 10

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण तथा अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु राशि 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 11**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु राशि 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 12**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 13**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

**मद क्रमांक 14**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 1**

आयुक्त आदिवासी विकास संचालनालय अंतर्गत मुख्यालय में प्रतिस्थापन के आधार पर दो नवीन वाहनों के क्रय हेतु अनुमानित राशि रुपये 12.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें संचालनालय में वेतन, भत्ते, अखिल भारतीय सेवा मकान किराया भत्ता हेतु राशि रुपये 1,50,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1**

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत निःशक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण हेतु राशि रुपये 71.23 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 71,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37

मुख्य शीर्ष 5452

### मद क्रमांक 1

धार्मिक पर्यटन विकास हेतु 13 वां वित्त आयोग के अंतर्गत रुपये 18.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

जैन परिपथों का विकास हेतु 13 वां वित्त आयोग के अंतर्गत रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

ईको एण्ड एडवेंचर पर्यटन के विकास हेतु 13 वां वित्त आयोग के अंतर्गत रुपये 13.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

विद्यमान पर्यटन सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन हेतु 13 वां वित्त आयोग के अंतर्गत रुपये 15.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

पहुंच मार्गों एवं आंतरिक मार्गों का उन्नयन हेतु 13 वां वित्त आयोग के अंतर्गत रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

राष्ट्रीय राज मार्ग शहरों में साईनेजेस हेतु 13 वां वित्त आयोग के अंतर्गत रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

मेला एवं उत्सव हेतु 13 वां वित्त आयोग के अंतर्गत रुपये 150.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39

मुख्य शीर्ष 2408

### मद क्रमांक 1 - 5

खाद्य विभाग के अंतर्गत मुख्य कार्यालय स्थापना हेतु राशि रुपये 6.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6 - 7

खाद्य विभाग के अंतर्गत पुरस्कार योजना हेतु राशि रुपये 19.45 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

खाद्य विभाग के अंतर्गत आयोडिनयुक्त नमक की योजना में राशि रुपये 4844.46 लाख की आवश्यकता है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 48,44,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

खाद्य विभाग के अंतर्गत म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 6000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

खाद्य विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 3000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

खाद्य विभाग के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत राशि रुपये 16000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

खाद्य विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन राशि रुपये 2301.78 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,01,78,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

खाद्य विभाग के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन की कम्प्यूटराइजेशन परियोजना हेतु राशि रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

खाद्य विभाग के अंतर्गत आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता कल्याण की नवीन योजना में राशि रुपये 12.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

**मद क्रमांक 15**

खाद्य विभाग के अंतर्गत संभागीय कार्यालय की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 6.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5475

**मद क्रमांक 16**

खाद्य विभाग के अंतर्गत संभागीय कार्यालय की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 74.14 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 74,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6408

**मद क्रमांक 17**

खाद्य विभाग के अंतर्गत धान पर अधिरोपित क्रय कर के भुगतान की नवीन योजना में राशि रुपये 10000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 40

मुख्य शीर्ष 2705

**मद क्रमांक 1-24**

कमाण्ड क्षेत्र विकास के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्य एवं सिंचाई समितियों को अनुदान तथा अन्य कार्य हेतु रुपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4705

**मद क्रमांक 25-36**

कमाण्ड क्षेत्र विकास अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना फील्ड चैनल्स निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेन्सी एवं अन्य कार्य हेतु राशि रुपये 1770.00 लाख का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

माध्यमिक शाला में पदस्थ अमले के चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 5.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

हाई स्कूल में पदस्थ अमले के चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 3.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

शासकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले नियमित विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का प्रदाय किये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

**मद क्रमांक 4 - 5**

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित पोलीटेकनिक महाविद्यालय यथा जतारा , पवई , सेंधवा , राजगढ, नसरुल्लागंज , इटारसी , सिरोंज , मुरैना, बालाघाट, जावरा, भोपाल एवं नरसिंहपुर के उन्नयन हेतु रुपये 367.50 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। जो संस्थाओं द्वारा फर्नीचर, नवीन उपकरण, मशीन एवं पुस्तको के क्रय में व्यय किया जावेगा। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राशि रुपये 367.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,67,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रुपये 28.13 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 9.38 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 37.51 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,51,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

### मद क्रमांक 7

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पायका) के स्थान पर नवीन योजना राजीव गांधी खेल अभियान केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति समर्पण कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 8

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को टन्ट्या भील स्वरोजगार योजना अंतर्गत अपना उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित कराये जाने हेतु 30 प्रतिशत अनुदान शेष बैंको से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 2500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

प्रदेश में 89 विकास खण्डों में जनजातियों के अपने रीति रिवाज, प्रथाये, रूढ़ियां प्रचलित रीति रिवाजों का संकलन करने, आदिवासियों से जुड़े जाति पंचायतों के विन्यास के सन्दर्भ में कानूनी अपबंध तैयार करने हेतु प्रदेश की 43 जनजाति समूह की कार्यशाला आयोजित किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 120.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं 1995 के तहत दी जाने वाली राहत राशियों की दरों में वृद्धि की गई है। केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत 50 प्रतिशत रुपये 250.00 लाख केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत रुपये 250.00 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 500.00 लाख की प्रावधानित राशि के अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 11

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत सिपडा कार्यक्रम के तहत निःशक्त जनो के लिये बाधारहित वातावरण / श्रवण बाधित केन्द्र की स्थापना / कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2148400/- का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,48,400/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं एवं उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय दिया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 2500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 13 - 16**

अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द परियोजना में पदस्थ अमले के वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 2558500/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,58,500/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17 - 19**

विश्व बैंक की सहायता से गहन विस्तार परियोजना में पदस्थ अमले के वेतन, आदिवासी क्षेत्र भत्ता तथा ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 24220500/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,42,20,500/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20 - 21**

कपास विकास परियोजना में पदस्थ अमले के वेतन तथा ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 59600/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 59,600/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2402

**मद क्रमांक 22 - 23**

शुष्क कृषि क्षेत्र में जलग्रहण का विकास परियोजना में पदस्थ अमले के वेतन तथा ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 2407100/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,07,100/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 24**

पशुपालन विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत भारत सरकार से वर्ष 2013-14 में प्राप्त राशि में से व्यपगत राशि की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 80.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

**मद क्रमांक 25**

प्रदेश में संचालित छातावास एवं आश्रमों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को रुपये 1.00 प्रति किलो के मान से गेहूं एवं चावल का प्रदाय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 459.83 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,59,83,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 26**

मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत हाथकरघा संचानालय द्वारा क्रियान्वयन की जाने वाली मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में वित्तीय वर्ष में रुपये 45.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति मांग संख्या 52 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 27**

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य मंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना को मुख्य मंत्री स्वरोजगार में समाहित किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 28**

मध्य प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित श्री यादे माटीकला योजना को मुख्य मंत्री स्वरोजगार में समाहित किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

**मद क्रमांक 29**

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालय यथा भोपाल, नौगांव, सिवनी, जबलपुर, अशोकनगर, उज्जैन जावद, खिरसाडोह, बडवानी, खुरई, शहडोल, छिंदवाड़ा, राधोगढ़, सतना, सागर एवं इंदौर में महिला छात्रावास भवन निर्माण हेतु रुपये 72.75 लाख की राशि निर्गमित की है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राशि रुपये 72.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,75,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

**मद क्रमांक 30**

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण योजना अंतर्गत चिकित्सालयों के उन्नयन एवं नवीन निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 510.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या-41 मुख्य शीर्ष-2210 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 31**

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13 वां वित्त आयोग) योजना अंतर्गत 51 जिलों में ट्रामा यूनिट सेंटर की स्थापना के लिये मशीन एवं उपकरण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 32**

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण योजना अंतर्गत चिकित्सालयों के उन्नयन एवं नवीन निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त

रुपये 1471.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या-41 मुख्य शीर्ष-2210 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,71,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 33

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये विनिर्मित तकनीक के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण योजना अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्रों का नवीन निर्माण एवं नलकूप खनन कार्य कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 35.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या-41 मुख्य शीर्ष-2210 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 34

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण ( नाबार्ड) योजना अंतर्गत चिकित्सालयों के उन्नयन एवं नवीन निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या-41 मुख्य शीर्ष-2210 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42

मुख्य शीर्ष 5054

### मद क्रमांक 1

वृहद पुलों का निर्माण योजना अंतर्गत निर्माणाधीन एवं नवीन पुलों के निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 2500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़को एवं नवीन सड़को के निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 5500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों / पुलों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत
1.	डिण्डोरी	जबलपुर अमरकण्टक मार्ग के कि.मी. 145/4 पर कुतरैल नदी पर पुल निर्माण	551.00
2.	डिण्डोरी	जबलपुर अमरकण्टक मार्ग के कि.मी. 155/4 पर गोमती नदी पर पुल निर्माण	751.00
3.	डिण्डोरी	जबलपुर अमरकण्टक मार्ग के कि.मी. 172/4 पर चकरार नदी पर पुल निर्माण	675.00

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़को एवं नवीन सड़को के निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 4000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़को एवं नवीन सड़को के निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 5000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	43
मुख्य शीर्ष	2204

**मद क्रमांक 1**

विभाग अंतर्गत संचालित खेल अकादमियों में प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को खेल सामग्री/उपकरण के प्रदाय हेतु राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

भारत सरकार द्वारा संचालित पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के स्थान पर प्रारंभ की गई नवीन योजना राजीव गांधी खेल अभियान के लिये रुपये 2000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	44
मुख्य शीर्ष	2202

**मद क्रमांक 1**

शासकीय महाविद्यालय में प्रवेशित प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्रदाय योजना अंतर्गत राशि रुपये 3114.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	45
मुख्य शीर्ष	4702

**मद क्रमांक 1**

निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाओं के भुगतान हेतु रुपये 125.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। जिसमें से राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 15.00 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 1,25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

सुधार सुदृढीकरण पुर्नस्थापन (आर.आर.आर.) योजना अंतर्गत रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

ए.आई.बी.पी. योजना अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के भुगतान हेतु रुपये 125.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है। जिसमें से राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 25.00 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 1,25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47  
मुख्य शीर्ष 2203

**मद क्रमांक 1**

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों/कार्यरत अमले के वेतन भत्तों हेतु (प्रति संस्था राशि रुपये 200.00 लाख के मान से) रुपये 1000.00 लाख एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों को पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स की राशि की द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु रुपये 193.00 लाख कुल राशि रुपये 1193.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,93,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 4**

प्रदेश के शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के उन्नयन हेतु भारत सरकार द्वारा शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय मुरैना एवं बालाघाट हेतु प्रति संस्था रुपये 93.00 लाख एवं जावरा तथा भोपाल हेतु प्रति संस्था रुपये 69.75 लाख तथा पोलीटेकनिक महाविद्यालय नरसिंहपुर के लिये राशि रुपये 62.00 लाख कुल राशि रुपये 387.50 लाख की सहायता स्वीकृत की गई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,87,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

**मद क्रमांक 5 - 6**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के वेतन, महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु राशि रुपये 1998.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,98,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

**मद क्रमांक 7**

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर, पोलीटेकनिक महाविद्यालय डबरा एवं टीकमगढ़ के भवनों के निर्माण हेतु राशि रुपये 90.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

केन्द्रीय सहायता अंतर्गत सात पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 2010.00 लाख एवं महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय यथा भोपाल, नौगांव, सिवनी, जबलपुर, अशोकनगर, उज्जैन जावद, खिरसाडोह, बडवानी, खुरई, शहडोल, छिंदवाड़ा, राधोगढ़, सतना, सागर एवं इंदौर में महिला छात्रावास भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 426.25 लाख कुल राशि रुपये 2436.25 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,36,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48  
मुख्य शीर्ष 2801

**मद क्रमांक 1**

बरगी केनाल बेड पावर हाउस का परिचालन एवं संधारण कार्य एवं विद्युत प्रभार का भुगतान हेतु राशि रुपये 27.00 लाख का व्यय संभावित है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

## मद क्रमांक 2

सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत रुपये 3.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

## मद क्रमांक 3

इंदिरा सागर केनाल बेड पावर हाउस के परिचालन एवं संधारण के अंतर्गत राशि रुपये 146.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,46,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 49

मुख्य शीर्ष 2225

## मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमकड़ एवं अर्द्ध घुमकड़ जनजाति कल्याण विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन के मुद्रण हेतु 012-मुद्रण एवं प्रकाशन मद में राशि रुपये 2.57 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 51

मुख्य शीर्ष 2250

## मद क्रमांक 1

धर्मस्व विभाग के अंतर्गत अन्य सामाजिक सेवायें हेतु शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार मद हेतु राशि 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

धर्मस्व विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में अंगकोर वाट सीतामैया मंदिर श्रीलंका में प्रत्यक्ष राज सहायता अंतर्गत राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 3

धर्मस्व विभाग के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में मुख्यमंती तीर्थ दर्शन यात्रा हेतु प्रत्यक्ष राज सहायता हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52

मुख्य शीर्ष 2225

## मद क्रमांक 1

जिला पंचायत स्तर पर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 6 से कक्षा 10 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2013-14 की शेष छात्रवृत्ति का प्रदाय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1417.31 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,17,31,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

जिला पंचायत स्तर पर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2013-14 की शेष छात्रवृत्ति का प्रदाय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 393.69 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,93,69,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 3

जनपद पंचायत स्तर पर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 6 से कक्षा 10 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2013-14 की शेष छात्रवृत्ति का प्रदाय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 933.17 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,33,17,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 4

जनपद पंचायत स्तर पर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2013-14 की शेष छात्रवृत्ति का प्रदाय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 633.31 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,33,31,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 5

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 6 से कक्षा 10 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2013-14 की शेष छात्रवृत्ति का प्रदाय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 3038.68 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,38,68,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 6

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2013-14 की शेष छात्रवृत्ति का प्रदाय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1662.19 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,62,19,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 54

मुख्य शीर्ष 2415

## मद क्रमांक 1

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के अंतर्गत बोहानी जिला नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु अधोसंरचना/पूँजीगत परिसंपत्तिया निर्मित किये जाने हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55  
मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1**

महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय योजना अंतर्गत प्रशिक्षण मद में राशि रुपये 7.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

आंगनबाड़ी कार्यकता एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय अंतर्गत मानदेय के भुगतान हेतु रुपये 3833.68 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,33,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

**मद क्रमांक 3**

सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रुपये 13.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56  
मुख्य शीर्ष 2851

**मद क्रमांक 1**

आयुक्त हाथकरघा संचालनालय भोपाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण नवीन योजना प्रारंभ किये जाने हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति पुर्नविनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

आयुक्त हाथकरघा संचालनालय भोपाल के अंतर्गत कालीन पार्क योजना के लिये राशि रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

आयुक्त हाथकरघा संचालनालय मध्यप्रदेश खादी बोर्ड भोपाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार नवीन योजना प्रारंभ किये जाने हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति पुर्नविनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

आयुक्त हाथकरघा संचालनालय भोपाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण नवीन योजना प्रारंभ किये जाने हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति पुर्नविनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58

**मद क्रमांक 1 - 3**

राहत आयुक्त के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में योजना क्रमांक 2304 निर्देशन और प्रशासन के अंतर्गत नियमित बजट प्रावधान के अतिरिक्त निम्नानुसार राशि अतिरिक्त बजट प्रावधान आवश्यक है:-

1. 12-मजदूरी रुपये 100 का प्रतीक
2. 31-005-सुरक्षा व्यवस्था रुपये 100 का प्रतीक
3. 16-006-मकान किराया रुपये 1,50,000

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राहत आयुक्त के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से राज्य को सहायता योजना क्रमांक 6949-73 अंतरण लेखा अंतरण राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंतरण हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 8313.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 83,13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

राहत आयुक्त के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में योजना क्रमांक 5504 रा.पु.परि. 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता 51 अन्य प्रभार विभिन्न प्रकार के आपदा संबंधी प्रकरणों के लिये अतिरिक्त मांग मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 59  
मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 1**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत डी.पी.आई.पी. योजनाये हेतु राशि रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 60  
मुख्य शीर्ष 4515

**मद क्रमांक 1**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु रुपये 5,27,20,800 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,27,20,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 62  
मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 1**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संजय गांधी युवा संस्थान पचमढ़ी को अनुदान हेतु राशि रुपये 3.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 63  
मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 1**

पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक कन्या छातावास के संचालन के लिये राशि 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

अल्पसंख्यक आयोग के नव नियुक्त सदस्यों के लिये परिवहन व्यवस्था हेतु राशि 4.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2055

**मद क्रमांक 1 - 3**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत 51 जिलों में अनुसूचित जाति कल्याण थानो की स्थापना की गई है। थानो के लिये फर्नीचर, कार्यालय उपकरण तथा वाहनो के क्रय हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राशि रुपये 671.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,71,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 4**

शासकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले नियमित विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का प्रदाय किये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

**मद क्रमांक 5 - 8**

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित पोलिटेकनिक महाविद्यालय यथा जतारा, पवई, सेंधवा, राजगढ, नसरुल्लागंज, इटारसी, सिरोंज, मुरैना, बालाघाट, जावरा, भोपाल एवं नरसिंहपुर के उन्नयन हेतु रुपये 735.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। जो संस्थाओं द्वारा फर्नीचर, नवीन उपकरण, मशीन एवं पुस्तको के क्रय में व्यय किया जावेगा। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में राशि रुपये 735.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,35,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रुपये 56.25 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 18.75 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 75.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

**मद क्रमांक 10**

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पायका) के स्थान पर नवीन योजना राजीव गांधी खेल अभियान केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति समर्पण कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

### मद क्रमांक 11

मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद अंतर्गत रुपंकर कलाओं पर केन्द्रित आर्ट-मार्ट प्रदर्शनी एवं रंग सोपान समारोह हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 126.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,26,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

### मद क्रमांक 12 - 13

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय सागर हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत राशि रुपये 200.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 14

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभांशित करने के लिए भौतिक लक्ष्य 3500 निर्धारित किया गया है। एवं पूर्व की योजना में वर्ष 2013-14 के वितरित/स्वीकृत प्रकरणों के लिये रुपये 3.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 3800.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 15

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत 18 से 55 वर्ष के बी.पी.एल. श्रेणी के अनुसूचित जाति वर्ग के 700 हितग्राहियों को लाभांशित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें परियोजना लागत की अधिकतम राशि रुपये 20000/- जिसमें अनुदान सहायता रुपये 10000/- प्रदान की जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 700.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 16

मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमकड़ एवं अर्द्ध घुमकड़ जनजाति कल्याण विभाग के छात्रावासों/आश्रम के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं पारिश्रमिक हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का व्यय आवश्यक है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 17

केन्द्र पोषित अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र छात्राओं के प्रावीण्य में उन्नयन योजना अंतर्गत अनुसूचित जातियों के पाठ कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रावीण्य में उन्नयन के लिये रुपये 15000/- प्रति विद्यार्थी से बढ़ाकर रुपये 25000/- प्रति विद्यार्थी देय होगी। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 76.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 76,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 18

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं 1995 के तहत दी जाने वाली राहत राशियों की दरों में वृद्धि की गई है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत 50 प्रतिशत रुपये 175.00 लाख केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत रुपये 175.00

लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 350.00 लाख की प्रावधानित राशि के अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 19

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत सिपडा कार्यक्रम के तहत निःशक्त जनो के लिये बाधारहित वातावरण / श्रवण बाधित केन्द्र की स्थापना / कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2035300/- का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,35,300/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

### मद क्रमांक 20

पशुपालन विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत भारत सरकार से वर्ष 2013-14 में प्राप्त राशि में से व्यपगत राशि की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 72.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

### मद क्रमांक 21

प्रदेश में संचालित छातावास एवं आश्रमों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को रुपये 1.00 प्रति किलो के मान से गेहूं एवं चावल का प्रदाय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 201.11 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,01,11,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

### मद क्रमांक 22

मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत हाथकरघा संचानालय द्वारा क्रियान्वयन की जाने वाली मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में वित्तीय वर्ष में रुपये 60.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति मांग संख्या 15 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 23

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य मंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना को मुख्य मंत्री स्वरोजगार में समाहित किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 24

मध्य प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित श्री यादे माटीकला योजना को मुख्य मंत्री स्वरोजगार में समाहित किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

**मद क्रमांक 25**

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालय यथा भोपाल, नौगांव, सिवनी, जबलपुर, अशोकनगर, उज्जैन जावद, खिरसाडोह, बडवानी, खुरई, शहडोल, छिंदवाड़ा, राधोगढ़, सतना, सागर एवं इंदौर में महिला छात्रावास भवन निर्माण हेतु रुपये 145.50 लाख की राशि निर्गमित की है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में राशि रुपये 145.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,45,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

**मद क्रमांक 26**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण योजना अंतर्गत चिकित्सालयों के उन्नयन एवं नवीन निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 918.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष-2210 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,18,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 27**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13 वां वित्त आयोग) योजना अंतर्गत 51 जिलों में ट्रामा यूनिट सेंटर की स्थापना के लिये मशीन एवं उपकरण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 28**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण योजना अंतर्गत चिकित्सालयों के उन्नयन एवं नवीन निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 614.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष-2210 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,14,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 29**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये विनिर्मित तकनीक के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण योजना अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्रों का नवीन निर्माण एवं नलकूप खनन कार्य कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष-2210 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 30**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत चिकित्सालयों के उन्नयन एवं नवीन निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 470.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष-2210 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,70,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



मुख्य शीर्ष 4515

**मद क्रमांक 31**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु रुपये 1,28,90,700 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,28,90,700 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

**मद क्रमांक 32**

वृहद पुलों का निर्माण योजना अंतर्गत निर्माणाधीन एवं नवीन पुलों के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 33**

रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण योजना हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में निर्माणाधीन एवं नवीन पुलों के निर्माण हेतु रुपये 600.00 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु रुपये 350.00 लाख का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 6,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 34**

मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़को एवं नवीन सड़को के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 35**

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़को एवं नवीन सड़को के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 6000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 36**

ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़को एवं नवीन सड़को के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 1**

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जिला तथा परियोजना प्रशासन, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां मद में राशि रुपये 35.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत सतपुड़ा भवन स्थित द्वितीय तल पर आवंटित स्थान के अनुरक्षण कार्य हेतु राशि 44.62 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

आश्रम तथा छात्रावास भवनों में बाउन्ड्रीवाल/आवास निर्माण हेतु राशि 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण के अंतर्गत मुख्यमंत्री पिछड़ावर्ग स्वरोगार योजनान्तर्गत रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राशि 130.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा में प्रोत्साहन राशि देने हेतु राशि 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6225

### मद क्रमांक 7

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को ऋण हेतु राशि 7.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 2059

### मद क्रमांक 1

गैर आवासीय भवन अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

उप पंजीयक कार्यालयों में भवनों की मरम्मत/इंटरियर का कार्य हेतु राशि रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3 - 7

परियोजना क्रियान्वयन इकाई योजना अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया, अन्य भत्ते एवं ग्रेड पे आदि पर राशि रुपये 258.80 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,58,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

आवासीय भवन अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु राशि रुपये 35.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

आवासीय भवन अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

सतना में खुली जेल के निर्माण पर रुपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन ग्वालियर के निर्माण हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

महानिरीक्षक पंजीयन मुख्यालय भवन तथा उप पंजीयक कार्यालय के भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

महा

**मद क्रमांक 13**

माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास श्यामला हिल्स भोपाल में एनेक्सी के निर्माण हेतु राशि रुपये 137.60 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

नवीन जिला उप पंजीयक कार्यालयों के भवनों के निर्माण कार्य पर राशि रुपये 6.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

उप पंजीयक कार्यालय के निर्माणाधीन भवनों हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

जेलों की सेनीटेशन व्यवस्था में सुधार हेतु राशि रुपये 310.58 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,10,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17**

आवासीय भवनो में लघु मूल प्रकृति के निम्नांकित निर्माण कार्यों में रुपये 235.94 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्रमांक	जिला	भवन का नाम	लागत (लाख में)	अनुदान राशि (रुपये में)
1.	भोपाल	शासकीय आवास क्रमांक बी-6, चार इमली में अतिरिक्त निर्माण	29.77	100
2.	भोपाल	शासकीय आवास क्रमांक बी-17, चार इमली में अतिरिक्त निर्माण	29.30	100
3.	भोपाल	शासकीय आवास क्रमांक बी-19, चार इमली में अतिरिक्त निर्माण	14.75	100
4.	भोपाल	शासकीय आवास क्रमांक बी-21, चार इमली में अतिरिक्त निर्माण	29.97	100
5.	भोपाल	शासकीय आवास क्रमांक बी-6, 74 बंगला में अतिरिक्त निर्माण	55.63	100
6.	भोपाल	शासकीय आवास क्रमांक ई-38, 45 बंगला में अतिरिक्त निर्माण	29.00	100
7.	भोपाल	शासकीय आवास क्रमांक ई-23, 45 बंगला में अतिरिक्त निर्माण	25.59	100
8.	भोपाल	शासकीय आवास क्रमांक सी-15, शिवाजी नगर में अतिरिक्त निर्माण	21.93	100
योग			235.94	800

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72

मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1**

गैस राहत विभाग में कमला नेहरू चिकित्सालय में वेतन अंतर्गत अन्य भत्ते हेतु राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 3**

गैस राहत विभाग में देशी चिकित्सा पद्धति योजना में वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 2.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

गैस राहत विभाग में एस.ए.के. चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था हेतु राशि रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 - 6**

गैस राहत विभाग में पी.एम.सी. चिकित्सालय में परामर्श सेवायें तथा सफाई व्यवस्था हेतु राशि रुपये 2,00,100 का अतिरिक्त व्यय संभावित है। परामर्श सेवायें अंतर्गत व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 8**

गैस राहत विभाग में इंदिरा गांधी अस्पताल हेतु वेतन भत्ते मद में राशि रुपये 70.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 9 - 10**

गैस राहत विभाग में भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय हेतु राशि रुपये 70,000/- का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

गैस राहत विभाग में गैस राहत एवं पुनर्वास हेतु जिलाध्यक्ष कार्यालय में अतिरिक्त अमले हेतु राशि रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73

मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1 - 3**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय कार्यालय व्यय तथा सामग्री एवं पूर्तिया मदों हेतु राशि रुपये 71.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 71,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित चिकित्सालय हेतु राशि रुपये 1100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 - 7**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय एवं अन्य प्रभार मदों हेतु राशि रुपये 2.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8 - 10**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत दंत महाविद्यालय इंदौर-संस्था में नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता एवं दूरभाष के देयकों के भुगतान हेतु राशि रुपये 3.15 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11 - 16**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय हेतु वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय एवं व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां मद में राशि रुपये 33.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 33,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय हेतु राशि रुपये 153.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,53,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18**

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय में संधारण अनुदान (वेतन, भत्ते, मानदेय आदि) हेतु राशि रुपये 900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

चिकित्सा शिक्षा विभाग में जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	74
मुख्य शीर्ष	2216

**मद क्रमांक 1**

इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत रुपये 19720.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,97,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2501
-------------	------

**मद क्रमांक 2**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु राशि रुपये 7113.79 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 71,13,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2515
-------------	------

**मद क्रमांक 3**

पंचायत विभाग के अंतर्गत राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना हेत रुपये 4631.15 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,31,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2702
-------------	------

**मद क्रमांक 4**

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत प्रायवेट एजेसियों, ठेकेदार द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल नल कूप खनन पर सहायता हेतु रुपये 1.08 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

**मद क्रमांक 5**

पंचायत विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान हेतु रुपये 5432.81 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 54,32,81,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

पंचायत विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुस्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु राशि रुपये 16398.64 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,63,98,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 76

मुख्य शीर्ष 2810

**मद क्रमांक 1**

आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत परामर्श सेवाओं हेतु राशि रुपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

लोक शिक्षण संचालनालय के न्यायालयीन प्रकरणों में अभिभाषकों की फीस भुगतान हेतु राशि रुपये 30.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

अन्य छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत समग्र पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑन-लाइन छात्रवृत्ति वितरण हेतु राशि रुपये 1187.20 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,87,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

बेटी बचाओं योजना अंतर्गत बालिकाओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु राशि रुपये 150.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

**मद क्रमांक 4**

राष्ट्रीय सैन्य दल वरिष्ठ संभाग हेतु अपर महानिदेशक एन.सी.सी. के पुराने वाहन को निष्प्रयोजित घोषित कर उसके स्थान पर रुपये 7.50 लाख की लागत से नये वाहन का क्रय किया जाना है, उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति विभागीय बचतों से पुर्नविनियोजन कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

आवासीय खेल कूद योजना अंतर्गत उपकरणों के क्रय हेतु राशि रुपये 5.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 78

मुख्य शीर्ष 2217

### मद क्रमांक 1

सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण एवं अधोसंरचना विकास के लिये राशि रुपये 200.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।